

etc
uploaded on
the website.

S.No. 326

भारतसरकार BHARAT SARKAR
रेलमंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवेबोर्ड RAILWAY BOARD

No. 88/RS(G)/779/14 Pt.

New Delhi, dated : 6 .01.2017

The General Manager, All Indian Railways/PUs, NF(C), CORE
The DG/RDSO/Lucknow
CAOs, DMW/Patiala, WPO/Patna, COFMOW/NDLS, RCF/RBL/NDLS, RWP/Patna

Sub: Delegation of powers.

Ref : 1. Railway Board's letter No. F(X)II-2014/PW/1 dated 1.1.2015
2. Railway Board's letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dt 12.3.2015

Vide Railway Board letter No. F(X)II-2014/PW/1 dated 1.1.2015 (Ref.1), full powers of acceptance of tenders for Stores tenders have been delegated to GMs. Various powers of officers below GM were last revised vide Railway Board's letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dt 12.3.2015. The issue of delegation of power was further deliberated by Board in the light of final recommendation of Sreedharan Committee report. Based on the decision of Hon'ble MR thereupon, the revised delegations of various powers to officers below GM are as under.

This delegation is valid for all types of supply order (and includes turnkey contract). As per IRS conditions of contract **clause 0117**, supply order means an order for supply of stores and includes an order for performance of service.

1.0 A- Direct Acceptance of Tenders:

Railways/PUs/other field units			
	Accepting Authority level	Existing value limit	Revised Value limit
(i)	AMM	Upto Rs. 3 lakhs	Upto Rs. 3 lakhs
(ii)	SMM/DMM	Upto Rs. 8 lakhs	Upto Rs. 8 lakhs
(iii)	Dy.CMM/Sr.DMM/DMM or SMM with independent charge	Upto Rs.15 lakhs	Upto Rs.45 lakhs

Note:(i) In case of procurement of track items by Engineering department, same level Officer of Civil Engineering department will be Accepting Authority..
(ii) Track items are items as defined in Stores Code Para 702.

Santosh Mittal

Ashu

1.0 B – Constitution of Tender Committee and Accepting Authority:

Railways/PUs/other field units			
	TC and Accepting Authority level	Existing value limit	Revised Value limit
(i)	<p><u>TC of Sr. Scale</u></p> <p>SMM as convener and Jr. scale of finance and Sr. scale of user department as members.</p> <p>Accepting Authority -Dy.CMM ^</p>	Above Rs.15 lakhs and upto Rs. 45 lakhs	Sr. Scale TC ceases to exist , hence no powers
(ii)	<p><u>TC of JAG</u></p> <p>Dy.CMM/ Sr.DMM (convener)*, Dy.Level officer from indenting # and Dy.Level of Accounts Department.</p> <p>* Dy.CE for Track items # Dy.CMM/Sr.DMM for Track items</p> <p>Accepting Authority- CMM ^</p>	Above Rs.1.5 crs. And upto Rs. 3 crs.	Above Rs. 45 Lakhs and upto Rs. 5 crs.
(iii)	<p><u>TC of SAG</u></p> <p>CMM (convener)*/SAG of indenting deptt.# and SAG of account Department.</p> <p>*CE for track items # CMM (for track items)</p> <p>Accepting Authority – COS^</p>	Above Rs.3 crs. and upto Rs. 20 crs.	Above Rs.5 crs. and upto Rs. 200 crs.
(iv)	<p><u>TC of PHOD/CHOD</u></p> <p>COS(convener)*, PHOD/ CHOD of indenting department # and PHOD/ CHOD of account department.</p> <p>*PCE for track items # COS (for track items)</p> <p>Accepting Authority - AGM</p> <p>In case AGM is not there, GM** is the Accepting Authority</p>	Above Rs. 20 crs. and upto Rs. 40 crs.	Above Rs. 200 crs. and upto Rs. 500 crs.
(v)	{COS (convener)*, PHOD/CHOD of indenting department# and FA&CAO(PHOD/CHOD) of Account department} of Construction organization.	-	200 cr to 500 cr

Santosh Mittal

ASHA

	*PHOD/CHOD of Civil Engg deptt of Construction orgn (for track items) # COS of Construction orgn (for track items) Acceptance Authority -CAO(Con)		
(vi)	TC of PHOD/CHOD COS (convener)*, PHOD/CHOD of indenting department t# and PHOD/CHOD of account department Accepting Authority- GM**	Above Rs. 40 crs.	Above Rs. 500 crs.

*** For Track items #,**

- Officers of same level from Civil Engineering department shall act as Convener of Tender Committee.
- officers of Stores department of the same level as convener shall be the third member of Tender Committee.

^ Officers of same level from Civil Engineering department will be the Accepting Authority.

Track items are items as defined in Stores Code Para 702.

** The term "General Manager" used in these rules is deemed to mean besides the General Managers of Railways, D.G./RDSO and Chief Administrative Officers working directly under the control of Railway Board.

Note - For 1.0 (A) & (B) above: The above are, however, upper limits for Constitution of Tender Committees and power of acceptance of tenders. General Managers are free to delegate lower limits for the same keeping local requirements in view and in consultation with COS and FA&CAO.

-In case an item is indented by multiple departments, GM, may in consultation with COS and FA&CAO, decide to nominate the the 3rd TC member from one of the indenting department

1.1 Revised value limits for issue of limited tender/bulletin tender:-

A. In normal circumstances:

	Issuing authority level	Existing value limit	Revised value limit
(i)	AMM	Upto Rs. 3 lakhs	Upto Rs. 3 lakhs
(ii)	SMM	Upto Rs. 8 lakhs	Upto Rs. 8 lakhs
(iii)	Dy. CMM and above	Upto Rs.15 lakhs	Upto Rs.25 lakhs

B. In emergencies:

	Issuing authority level	Existing value limit	Revised value limit
(i)	Dy.CMM	Upto Rs. 45lakhs	Upto Rs. 1.5 Crs.
(ii)	CMM	Upto Rs. 1.5 Crs.	Upto Rs. 5 Crs.
(iii)	COS	Upto Rs.3 Crs	Upto Rs. 10 Crs.
(iv)	AGM	Upto Rs.5 Crs	Upto Rs. 20 Crs.

Santosh Mittal

AGM

C.

		Existing value limit		Revised value limit	
(i)	For safety items	AMM	Upto Rs. 3 lakhs	AMM	Upto Rs. 3 lakhs
(ii)	For items for which approved list is issued by centralized agencies/ RDSO/PU/CORE	SMM	Upto Rs. 8 lakhs	SMM	Upto Rs. 8 lakhs
		Dy. CMM	Upto Rs. 45 Lakhs	Dy. CMM	Upto Rs. 1.5 cr
		CMM	Upto Rs. 1.5 crs.	CMM	Upto Rs. 5 crs.
		COS	Upto Rs. 3 crs.	COS	Upto Rs. 10 crs.
		AGM	Upto Rs. 5 crs.	AGM	Upto Rs. 20 crs.

1.2 Revised value limit for issue of advertised tender (in normal circumstances): Above Rs 25 lakhs.

		Existing value limit		Revised value limit	
(i)	COS	Full powers*		Full powers*	
(ii)	CMM/Dy.CMM/SMM/AMM	Upto their powers of acceptance		Upto their powers of acceptance	

* For Global tenders: Concurrence of finance {on the essentiality of import based on Railway Board's letter No. 2008/RS(G)/779/12 Dated 9.11.15} and approval of COS upto his power of acceptance will be needed. These powers are not to be delegated down below.

2.0 Powers on various other matters are enhanced as under :

S.No.	Item	Existing delegation	Revised Delegation
1.	Approval of quantities before placement of indent on centralized procurement agency or floating of tenders for direct purchase. (Board's letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dt 12.3.2015, Para 2.0 S.No. No. 1)	COS- Full powers CMM/Dy.CMM/SMM/AMM- upto their power of acceptance.	COS- Full powers CMM/Dy.CMM/SMM/AMM - upto their power of acceptance.
2.	Invitation of Single Tender for non-proprietary articles without finance concurrence in : (a) Normal circumstances (b) Emergencies affecting maintenance, out turn, operation etc. (Board's letter No,	a. COS/CMM- Upto Rs. 5 lakhs b. COS/CMM- Upto Rs. 8 lakhs	a. COS/CMM- Upto Rs. 8 lakhs b. COS/CMM-Upto Rs. 25 lakhs

Santosh Mittal

ASL

	88/RS(G)/779/14 Pt. Dt. 12.3.2015 Para 2.0 S.No.2)		
3.	Vetting of purchase orders. (Board's letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dt. 12.3.2015 Para 2.0 S.No.3)	1. Above Rs. 12 lakhs for safety items 2. Above Rs. 6 lakhs for items other than safety items.	1. Above Rs.15 lakhs for safety items 2. Above Rs. 8 lakhs for items other than safety items.
4.	Vetting of indents to be placed on centralized procurement agencies by COS office. (Board's letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dt. 12.3.2015 Para 2.0 S.No.4)	Same as that of vetting of purchase order i.e. 1.Above Rs. 12 lakhs for safety items 2. Above Rs. 6 lakhs for items other than safety items.	Same as that of vetting of purchase order i.e. 1. Above Rs.15 lakhs for safety items 2. Above Rs. 8 lakhs for items other than safety items.
5.	Vetting of non-stock demands/requisitions (Board's letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dt. 12.3.2015 Para 2.0 S.No.5)	1. For safety items- above Rs. 3 lakhs 2.For items other than safety items- above Rs.1.5 lakh	1.For safety items- above Rs. 5 lakhs 2.For items other than safety items- above Rs. 2.5 lakh
6.	Placement of supply order against DGS&D rate/running contract. (Board's letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dt. 12.3.2015 Para 2.0 S.No.6)	COS- full powers CMM/Dy. CMM/ SMM - as per their level of acceptance.	COS- full powers CMM/Dy. CMM/ SMM - as per their level of acceptance.
7.	Direct procurement of stores by COS for which DGS&D has entered into rate/running contract, if stores are required urgently or can be more conveniently obtained locally or from nearer station. (Board's letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dt. 12.3.2015 Para 2.0 S.No.7)	Upto Rs. 1.5 lakh in each case subject to ceiling limit of Rs. 8 lakhs in each case per annum.	Upto Rs. 8 lakh in each case subject to ceiling limit of Rs. 25 lakhs in each case per annum.
8.	Acceptance of deviation from IRS conditions of contract without prior financial concurrence. (Board's letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dt. 12.3.2015 Para 2.0 S.No.8)	1. In direct acceptance case - one level higher than normal powers of acceptance but not below the level of JA Grade. 2. In TC case- normal power of acceptance of tender.	1. In direct acceptance case - one level higher than normal powers of acceptance but not below the level of JA Grade. 2. In TC case- normal power of acceptance of tender.

Santosh Mittal

ASM

<p>9.</p>	<p>Power of Divisional Stores Officers and Depot Stores Officers for purchase of items through normal mode of tenders (Open, Limited, Bulletin and Single tenders) in terms of Para 328-S of Stores Code Vol.1 (Board's letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dt. 12.3.2015 Para 2.0 S.No.9)</p>	<p>(a) For stock items urgently required.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Sr.DMM/Dy.CMM(Depot) - Rs.3 lakh per case. 2.DMM/SMM(Depot) Independent Incharge- same as that of Sr. DMM/Dy. CMM(Depot). 3.DMM/SMM(Depot) other than Independent Incharge- Rs. 1.5 lakh per case. 4. Asstt DMM/ AMM(Depot) Independent Incharge- same as that of DMM/SMM(Depot) other than independent Incharge. 5. Assistant DMM/AMM (Depot) other than Independent Incharge- Rs. 1 lakh per case. <p>(b) For stock items not cover in (a) above.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Sr.DMM/Dy.CMM(Depot)-Rs.2 lakhs per case. 2.DMM/SMM(Depot)- Independent Incharge- same as that of Sr. DMM/Dy.CMM (Depot) 3.DMM/SMM (Depot) other than Independent Incharge-Rs.1lakh per case. 4.AMM(Division)/AMM (Depot)-Rs.1lakh per case. <p>For (a) and (b) above- These powers to be exercised within annual ceiling limits which may be decided by COS in</p>	<p>(a) For stock items urgently required.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Sr.DMM/Dy. CMM(Depot)- Rs.5 lakh per case. 2.DMM/SMM(Depot) Independent Incharge- same as that of Sr. DMM/Dy. CMM(Depot). 3.DMM/SMM(Depot) other than Independent Incharge- Rs. 2 lakh per case. 4.Assistant DMM/AMM(Depot) Independent Incharge- same as that of DMM/SMM(Depot) other than independent Incharge. 5. Assistant DMM/AMM(Depot) other than Independent Incharge- Rs. 1.5 lakh per case. <p>(b) For stock items not cover in (a) above.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sr. DMM/Dy. CMM(Depot)- Rs.3 lakhs per case. 2.DMM/SMM(Depot)- Independent Incharge- same as that of Sr. DMM/Dy.CMM (Depot) 3. DMM/SMM (Depot) other than Independent Incharge -Rs.1.5 lakh per case. 4.AMM(Division)/AMM (Depot) - Rs.1.5 lakh per case. <p>For (a) and (b) above- These powers to be exercised within annual ceiling limits which may be decided by COS in</p>
-----------	---	--	---

Santosh Mittal

ASL

		<p>consultation with associate finance.</p> <p>(c) All non-stock items. Depot/Divisional Store Officers- (Sr. DMM/Dy. CMM (Depot)/DMM/SMM(Depot)/Assistant DMM/AMM (Depot)- Same as Direct acceptance power of HQ stores officers of corresponding level (No TC power to Divisional/Depot officers)</p> <p>For (c) above- Funds availability certification to be given by indentor on each demand ensuring that liability during any financial year does not exceed the allotted budget.</p>	<p>consultation with associate finance.</p> <p>(c) All non-stock items (including requisition for turnkey contract). Depot/Divisional Store Officers- (Sr. DMM/Dy. CMM (Depot)/DMM/SMM(Depot)/Assistant DMM/AMM (Depot)- Same as Direct acceptance and TC power of HQ stores officers of corresponding level. For TC cases, the acceptance will be done by CMM based on the delegation as given in para 1.0(B).</p> <p>For (c) above- Funds availability certification to be given by indentor on each demand ensuring that liability during any financial year does not exceed the allotted budget.</p>
10.	<p>Powers of Divisional Stores and Depot Stores Officers for placement of supply orders against DGS&D rate contracts. (Board's letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dt. 12.3.2015 Para 2.0 S.No.10)</p>	<p>1. Sr.DMM/ Dy.CMM (Depot)- Rs.3 lakhs per case. 2. DMM/SMM(Depot) Independent Incharge- Same as that of Sr. DMM/Dy.CMM (Depot) 3 DMM/SMM (Depot) other than Independent Incharge- Rs. 1.5 lakhs per case. 4. ADMM/AMM(Depot) Independent Incharge - Same as that of DMM/SMM (Depot) other than independent incharge.</p>	<p>1. Sr. DMM/Dy.CMM (Depot) - Rs. 5 lakhs per case. 2.DMM/SMM(Depot) Independent Incharge - Same as that of Sr. DMM/Dy.CMM (Depot) 3. DMM/SMM (Depot) other than Independent Incharge- Rs. 2 lakhs per case. 4.Asstt DMM/AMM(Depot) Independent Incharge- Same as that of DMM/SMM (Depot) other than independent incharge.</p>

Santosh Mittal

ASH

		<p>5.Asstt.DMM/AMM(Depot) other than Independent Incharge –Rs. 1 lakh per case.</p> <p>Above powers to be exercised within annual ceiling limits which may be decided by COS in consultation with associate Finance.</p> <p>These powers to be exercised within available budgetary limits and each demand allocation and primary unit.</p>	<p>5.Asstt. DMM/AMM (Depot) other than Independent Incharge –Rs. 1.5 lakh per case.</p> <p>Above powers to be exercised within annual ceiling limits which may be decided by COS in consultation with associate Finance.</p> <p>These powers to be exercised within available budgetary limits and each demand allocation and primary unit.</p>
11.	<p>JAG level Tender Committee member in case of single SAG officer (Board's letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dt. 12.3.2015 Para 2.0 S.No.11)</p>	<p>1. In case of only one SAG Finance Officer, JAG level Finance officer will be member of Tender Committee upto Rs. 12 crs.</p> <p>2. In case of only one SAG Stores officer, JAG level stores officer will be member of Tender Committee upto Rs. 12 crs.</p> <p>3. In case of only one SAG Level Officer in User Department, JAG level officer of user department will be member of Tender Committee upto Rs.12 crores.</p>	<p>1. In case of only one SAG Finance Officer, JAG level Finance officer will be member of Tender Committee upto Rs. 120 crs.</p> <p>2. In case of only one SAG Stores officer, JAG level stores officer will be member of Tender Committee upto Rs. 120 crs.</p> <p>3. In case of only one SAG Level Officer in User Department, JAG level officer of user department will be member of Tender Committee upto Rs.120 crores.</p>
12.	<p>Urgency certification in case of receipt of a single quotation against limited tender if prices are found to be reasonable.(Board's L. No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dt. 12.3.2015 Para 2.0 S.No.12)</p>	<p>1. JAG* level officer for all purchase upto Rs.1 lakh 2. SAG* level officer for purchase above Rs.1 lakh *urgency certificate by officer of stores department for stock items and officer of indenting department for non-stock items.</p>	<p>1. JAG* level officer for all purchase upto Rs.8 lakh 2. SAG* level officer for purchase above Rs.8 lakh *urgency certificate by officer of stores department for stock items and officer of indenting department for non-stock items.</p>

Santosh Mittal

Ashu

13.	Local purchase of items of small value both stock and non-stock.(Board's letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dt. 12.3.2015 Para 2.0 S.No.13)	Upto Rs. 1 lakh per case. However powers for local purchase on single quotation basis upto Rs.15,000/- each item.	Upto Rs. 1 lakh per case. However powers for local purchase on single quotation basis upto Rs.25,000/- each item.
14.	Hiring of material handling equipment by depot officers.(Board's L. No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dt. 12.3.2015 Para 2.0 S.No.14)	1. Dy. CMM/Depot upto Rs. 30,000/- per case with monthly limit of Rs.3 lakhs 2.SMM(Depot-Independent Incharge) upto Rs.15,000/- per case with monthly limit of Rs.1.5 lakh 3. AMM(Depot - Independent incharge) upto Rs.7500 per case with monthly ceiling limit of Rs.75,000/- .	1. Dy. CMM/Depot upto Rs. 50,000/- per case with monthly limit of Rs. 5 lakhs. 2. SMM (Depot-Independent Incharge) upto Rs.25,000/- per case with monthly limit of Rs. 2.5 lakh 3. AMM (Depot - Independent incharge) upto Rs.15000 per case with monthly ceiling limit of Rs. 1.5 Lakh
15.	Placement of purchase orders on other railway units by depot/divisional officers for material assistance. (Board's letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dt. 12.3.2015 Para 2.0 S.No.15)	1. Sr.DMM/Dy.CMM(Depot) -"Full powers on book rate" 2.DMM/SMM(Depot) Independent Incharge- "Full powers on book rate" 3. DMM/SMM(Depot) other than Independent Incharge-"Full powers on book rate" 4. Asstt.DMM/AMM (Depot)-Independent Incharge- "Full powers on book rate" 5.Asstt.DMM/AMM (Depot) other than Independent Incharge-"Full powers on book rate"	1.Sr.DMM/Dy.CMM (Depot) - "Full powers on book rate" 2.DMM/SMM(Depot) Independent Incharge- "Full powers on book rate" 3.DMM/SMM (Depot) other than Independent Incharge- "Full powers on book rate" 4. Asstt DMM/AMM (Depot)-Independent Incharge- "Full powers on book rate" 5.Asstt. DMM/AMM (Depot) other than Independent Incharge- "Full powers on book rate"
16.	To accept single Tender purchase from Stock yards/buffer imports of M/s SAIL, TISCO, IISCO, RINL in respect of Steel items and to make 100% payment in advance to them.(Board's letter No. 88/RS(G)/779/14	COS - 5 crs. CMM- 3 crs.	COS - 10crs. CMM- 5crs. Dy CMM – 45 Lakhs

Santosh Mittal

Asstt

	Pt. Dt. 12.3.2015 Para 2.0 S.No.16)		
17.	To invite all types of global tenders.(Board's L.No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dt. 12.3.2015 Para 2.0 S.No.17)	COS- Full powers up to his power of acceptance with FA&CAO's concurrence	COS - Full powers up to his power of acceptance with finance concurrence (on the essentiality of import based on bd letter dt 9.11.15).
18.	Release of FE and payment through letter of credit/TT.(Board's letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt.Dt. 12.3.15 Para 2.0 S.No.18)	COS/CMM- upto their power of acceptance.	COS/CMM- upto their power of acceptance.
19.	Signing of PAC (Board's letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dt. 12.3.2015 Para 2.0 S.No.19 & Board's L.No.88/RS(G)/779/28 dt.08/11/91 & 25/03/92	Indenting officer- upto Rs. 40,000/- JAG/SG officer- Rs.1 lakh SAG officer- upto Rs. 5 lakhs PHOD/CHOD- Above Rs. 5 lakhs	Indenting officer JS/SS – upto Rs. 75000 JAG/SG officer- Upto Rs. 3 lakh SAG officer- upto Rs. 15 lakhs PHOD/CHOD- Above Rs. 15 lakhs
20.	Purchase of oils and lubricants marketed by Public Sector Undertakings on single tender basis. (Board's letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dt. 12.3.2015 Para 2.0 S.No.20).	COS- upto Rs. 5 crs. and CMM- upto Rs. 3 crs. in each case with finance concurrence and to make 100% advance payment to the firms without going into the formalities of tender committee's examination. Limited Tender to be called in place of Single Tender in case prices are not government administered.	COS- upto Rs. 10crs. and CMM- upto Rs. 5crs. in each case with finance concurrence and to make 100% advance payment to the firms without going into the formalities of tender committee's examination. Limited Tender to be called in place of Single Tender in case prices are not government administered. Finance concurrence not required for calling of Limited Tender.
21.	Invitation of Single Tender for proprietary items where it has been possible to certify that a similar article, which could be used in lieu is not manufactured/sold by any other firm. (PAC 6'c' certified) (Board's letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dt. 12.3.2015 Para 2.0 S.No.21).	COS/CMM/Dy.CMM/ SMM/AMM- upto their level of acceptance.	COS/CMM/Dy.CMM/ SMM/AMM- upto their level of acceptance.

Santosh Mittal

ASL

22.	Invitation of single Tender for items where it has not been possible to certify that a similar article, which could be used in lieu, is not manufactured/sold by any other firm.(PAC 6 'a' certified) (Board's letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt Dt. 12.3.2015 Para 2.0 S.No.22)	COS- Rs. 8 lakhs CMM- Rs. 5 lakhs Dy.CMM- Rs. 3 lakhs SMM- Rs.1.5 lakh AMM- Rs. 75,000/-	COS- Rs. 15 lakhs CMM- Rs. 8 lakhs Dy.CMM- Rs. 5 lakhs SMM- Rs. 3 lakh AMM- Rs. 1 lakh
23.	Invitation of Single Tender- Developmental items. (Board's letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dt. 12.3.2015 Para 2.0 S.No.23)	COS- Rs. 8 lakhs CMM- Rs. 5 lakhs Dy. CMM- Rs. 3 lakhs	COS- Rs. 15 lakhs CMM- Rs. 8 lakhs Dy. CMM- Rs. 5 lakhs
24.	100% advance payment against proforma invoice with finance concurrence. (Board's letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dt. 12.3.2015 Para 2.0 S.No.24)	In direct acceptance cases- CMM- upto Rs. 8 lakhs COS- upto Rs.15 lakhs In TC cases- COS upto his powers of acceptance.	In direct acceptance cases- CMM- upto Rs. 15 lakhs COS- upto Rs.25 lakhs In TC cases- COS upto his powers of acceptance.
25.	Variation of Indian Railways Standard Conditions of Contract. (Board's letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dt. 12.3.2015 Para 2.0 S.No.25) and Railway Board's Letter No. 2001/RS(G)/779 /14 dated 14.01.2016)	COS may waive operation of clauses relating to 'Liquidated damages', 'Risk Purchases' and 'Arbitration' appearing in the contract (value of contract upto Rs.8 lakhs) at the post contract stage in order to avoid disproportionate administrative expenditure in small recoveries.	1. COS may waive operation of clauses relating to 'Liquidated damages', 'Risk Purchases' and 'Arbitration' appearing in the contract (value of contract upto Rs.15 lakhs) at the post contract stage in order to avoid disproportionate administrative expenditure in small recoveries. 2(a) For contracts upto Rs. 15 lakhs, RP may be waived by COS/CMM in individual cases by imposing GD @ 10% of outstanding value of contract without Finance concurrence. 2(b) For contracts above Rs. 15 lakhs, RP may be waived by COS/CMM in individual cases by imposing GD @ 10% of outstanding value of contract.

Santosh Mittal

Ashu

			<p>Note1: The above decision mentioned at 2(a) & 2(b) should be taken before floating of the fresh tender. Further to the extent SD has been taken {say of value 'A' (which is less than 10% value of contract)}, in such cases, the GD will be leviable only for the difference amount i.e. GD leviable (say 'B') will be equal to 10% of outstanding value of contract minus the value of SD submitted (A). In such cases, SD amount 'A' shall be forfeited and the 'GD' amount 'B' shall be recovered from the firm.</p> <p>Note:2 For contract more than Rs. 15 lakhs, whenever R.P. is being waived without levying G.D., COS/CMM will take finance concurrence.</p>
26.	<p>To write off loss due to risk purchase, general damages, liquidated damages.</p> <p>(Board's letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dt. 12.3.2015 Para 2.0 S.No.26).</p>	<p>COS- upto Rs.1.5 lakhs CMM- upto Rs.75,000/- Dy.CMM- upto Rs. 40,000</p> <p>These powers should be exercised with utmost care only and only when all other modes of recovery except through arbitration and legal action have been exhausted. Suitable administrative action should be taken against defaulting firms.</p>	<p>COS- upto Rs.1.5 lakhs CMM- upto Rs.75,000/- Dy.CMM- upto Rs. 40,000</p> <p>These powers should be exercised with utmost care only and only when all other modes of recovery except through arbitration and legal action have been exhausted. Suitable administrative action should be taken against defaulting firms.</p>
27.	<p>Acceptance of stores dispatched after the expiry of delivery period by the consignee subject to conditions as stipulated in Board's letter No. 73/RS(G)/779/59 dated</p>	<p>a.Delay upto 6 months for order valued upto Rs. 5 lakhs. b.Delay upto 21 days for orders valued between Rs. 5 lakhs to Rs. 8 lakhs provided the initial delivery</p>	<p>a. Delay upto 6 months for order valued upto Rs. 8 lakhs. b. Delay upto 21 days for orders valued between Rs. 8 lakhs to Rs. 15 lakhs provided the initial delivery</p>

Santosh Mittal

ASH

	27.2.1980. (Board's letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dt. 12.3.2015 Para 2.0 S.No.27).	period does not exceed 6 months.* For all other orders, valued over Rs. 8 lakhs prior extension of delivery period from the purchase office will be necessary.* (*subject to condition stipulated in Board's letter No. 73/RS(G)/779/59 dated 27.2.1980.)	period does not exceed 6 months.* For all other orders, valued over Rs. 15 lakhs prior extension of delivery period from the purchase office will be necessary.* (*subject to condition stipulated in Board's letter No. 73/RS(G)/779/59 dated 27.2.1980.)
28.	Acceptance of excess/short supply by depot officers without formal amendment to the contract. (Board's letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dt. 12.3.2015 Para 2.0 S.No.28).	Upto 5% of the value of contract or Rs. 5 lakh whichever is less subject to total value of receipt not exceeding normal purchase power of COS.	Upto 5% of the value of contract or Rs. 8 lakh whichever is less subject to total value of receipt not exceeding normal purchase power of COS.

3.0 Value limit of Rs.15 lakhs with respect to security deposit for procurement of safety items as laid down in para 3 of Railway Board letter No. 88/RS(G)/779/14/Pt dated 12.3.15 is revised as Rs. 25 lakhs.

This is issued with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Railway Stores (G)-I
Railway Board

No. 88/RS(G)/779/14 Pt.

New Delhi, dated : 6 .01.2017

1. FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units
2. PCEs, All Indian Railways & PUs, WPO/Patna, RCF/RBL, COFMOW, DMW
3. The ADAI(Railways), New Delhi (with 10 spares copies)
4. The Director of Audit, All Indian Railways

Asst.

for Financial Commissioner / Railways
New Delhi, dated : 6 .01.2017

No. 88/RS(G)/779/14 Pt.

1. COSs, CMEs, CEEs, CSTEs, CMDs All Indian Railways & PUs, RCF/RBL/NDLS, COFMOW, CORE, WPO and RWP/Bela
2. The Directors-
 - a) Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad
 - b) Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur
 - c) Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik
 - d) Sr. Prof. (Material Management), NAIR, Vadodara

Santosh Mittal

- e) Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune
- f) Indian Railway Institute of Traffic Management, Lucknow
3. Director, Iron & Steel, 3, KoilaGhat Street, Kolkata
4. Executive Director (Stores), RDSO, Lucknow
5. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow
6. Zonal Railway Training Institute, Sukadia Circle, Udaipur

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

No. 88/RS(G)/779/14 Pt.

New Delhi, dated : 6.01.2017

Copy to :

1. The Genl. Secy., AIRF, Room No. 248, & NFIR Room No. 256-C, Rail Bhavan
2. The Secy. Genl., IRPOF, Room No. 268, FROA, Room No. 256-D & AIRPFA, Room No. 256-D Rail Bhavan.

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

Copy to:- Sr. PPSs / PPS / PS to :

1. MR, MoS(S), MoS(G)
2. CRB, FC, ME, MTR, MRS, MS, MT, SECY., DG(RS), DG(S&T), DG(Personnel) , DG (RHS), DG (RPF),
3. All AMs, Advisors & Executive Directors of Railway Board.

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

रेलवे बोर्ड

सं. 88/आरएस(जी)/779/14 पार्ट

नई दिल्ली, दिनांक: 06.01.2017

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें/ उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण), कोर
महानिदेशक, अ.अ.मा.सं. लखनऊ.

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/डीएमडब्ल्यू/पटियाला, डब्ल्यूपीओ/पटना, कॉफमो/नई दिल्ली, आरसीएफ/आरबीएल/नई
दिल्ली, आरडब्ल्यूपी/पटना

विषय: शक्तियों का प्रत्यायोजन।

- संदर्भ:** 1. रेलवे बोर्ड का दिनांक 1.1.2015 का पत्र सं. एफ(एक्स)II-2014/ पीडब्ल्यू/1
2. रेलवे बोर्ड का दिनांक 12.3.2015 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14 पार्ट

रेलवे बोर्ड के दिनांक 1.1.2015 के पत्र सं. एफ (एक्स)II-2014/पीडब्ल्यू/1 (संदर्भ 1) के माध्यम से भण्डार निविदाओं के लिए निविदाओं को स्वीकृत करने की पूरी शक्तियां महाप्रबंधकों को प्रत्यायोजित की गई हैं। बोर्ड के दिनांक 12.3.2015 के पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14 पार्ट के माध्यम से पिछली बार महाप्रबंधक से नीचे के स्तर के अधिकारियों को विभिन्न शक्तियां प्रत्यायोजित की गई थी। श्रीधरन समिति की रिपोर्ट की अंतिम सिफारिश के आलोक में बोर्ड द्वारा शक्तियों का आगे और प्रत्यायोजन करने के मुद्दे पर विचार किया गया। उस पर माननीय मंत्री जी के निर्णय के आधार पर महाप्रबंधक से नीचे के स्तर के अधिकारियों को विभिन्न शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्न प्रकार है।

यह प्रत्यायोजन सभी प्रकार के सप्लाई आदेशों (और इसमें टर्नकी संविदा भी शामिल है) के लिए वैध है। संविदा की आईआरएस खण्ड 0117 के अनुसार सप्लाई आदेश का आशय भण्डार की सप्लाई का आदेश से है, जिसमें सेवा के निष्पादन का आदेश भी शामिल है।

1.0 क - सीधे स्वीकृति प्रदान की जाने वाली निविदाएं:

रेलें/उत्पादन इकाइयां/अन्य फील्ड इकाइयां			
	स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी का स्तर	मौजूदा मूल्य सीमा	संशोधित मूल्य सीमा
(i)	एएमएम	3 लाख रुपये तक	3 लाख रुपये तक
(ii)	एसएमएम/डीएमएम	8 लाख रुपये तक	8 लाख रुपये तक
(iii)	डिप्टी सीएमएम/सीनियर डीएमएम/डीएमएम अथवा स्वतंत्र प्रभार वाले एसएमएम	15 लाख रुपये तक	45 लाख रुपये तक
नोट:	(i) इंजीनियरी विभाग द्वारा रेलपथ मर्दों की खरीद के मामले में सिविल इंजीनियरी विभाग के समान स्तर का अधिकारी स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी होगा। (ii) रेलपथ मर्दों वे मर्दों हैं जिन्हें भण्डार संहिता पैरा 702 में दिया गया है।		

संतोष मिश्रा

अशोक

1.0 ख-निविदा समिति का गठन तथा स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी:

रेल/उत्पादन इकाइयां/अन्य फील्ड इकाइयां			
	निविदा समिति और स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी का स्तर	मौजूदा मूल्य सीमा	संशोधित मूल्य सीमा
(i)	वरिष्ठ वेतनमान की निविदा समिति संयोजक के रूप में एसएमएम और सदस्यों के रूप में वित्त विभाग का कनिष्ठ वेतनमान का अधिकारी और उपयोगकर्ता विभाग का वरिष्ठ वेतनमान का अधिकारी स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी -डिप्टी सीएमएम ^	15 लाख रुपये से अधिक और 45 लाख रुपये तक	वरिष्ठ वेतनमान की निविदा समिति अब विद्यमान नहीं है इसलिए कोई शक्ति नहीं है।
(ii)	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड की निविदा समिति डिप्टी सीएमएम/सीनियर डीएमएम (संयोजक),* मांगकर्ता विभाग से डिप्टी स्तर का अधिकारी# और लेखा विभाग का डिप्टी स्तर का अधिकारी *रेलपथ मर्दों के लिए डिप्टी सीई #रेलपथ मर्दों के लिए डिप्टी सीएमएम/सीनियर डीएमएम स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी -सीएमएम ^	1.5 करोड़ रुपये से अधिक और 3 करोड़ रुपये तक	45 लाख रुपये से अधिक और 5 करोड़ रुपये तक
(iii)	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड की निविदा समिति सीएमएम (संयोजक)*/मांगकर्ता विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का अधिकारी# तथा लेखा विभाग का वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का अधिकारी * (रेलपथ मर्दों के लिए) सीई # सीएमएम (रेलपथ मर्दों के लिए) स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी -सीओएस ^	3 करोड़ रुपये से अधिक और 20 करोड़ रुपये तक	5 करोड़ रुपये से अधिक और 200 करोड़ रुपये तक
(iv)	पीएचओडी/सीएचओडी की निविदा समिति सीओएस (संयोजक),* मांगकर्ता विभाग का पीएचओडी/सीएचओडी और लेखा विभाग के पीएचओडी/सीएचओडी अधिकारी * रेलपथ की मर्दों के लिए पीसीई # सीओएस (रेलपथ की मर्दों के लिए) स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी -एजीएम एजीएम न होने की स्थिति में महाप्रबंधक** स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी होंगे।	20 करोड़ रुपये से अधिक और 40 करोड़ रुपये तक	200 करोड़ रुपये से अधिक और 500 करोड़ रुपये तक
(v)	{सीओएस (संयोजक)*, मांगकर्ता विभाग* का पीएचओडी/सीएचओडी# और निर्माण संगठन (लेखा विभाग) के वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (पीएचओडी/सीएचओडी) निर्माण संगठन के सिविल इंजीनियरी विभाग की *पीएचओडी/सीएचओडी (रेलपथ की मर्दों के लिए) #निर्माण संगठन का सीओएस (रेलपथ की मर्दों के लिए) स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी -सीएओ (निर्माण)	-	200 करोड़ रुपए से अधिक 500 करोड़ रुपए तक

संतोष मिश्रा

अशोक

(vi)	पीएचओडी/सीएचओडी की निविदा समिति सीओएस (संयोजक)*, मांगकर्ता विभाग का पीएचओडी/सीएचओडी# और लेखा विभाग का पीएचओडी/सीएचओडी स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी -महाप्रबंधक**	40 करोड़ रुपए से अधिक	500 करोड़ रुपए से अधिक
<p>* रेलपथ संबंधी मदों के लिए#,</p> <ul style="list-style-type: none"> • सिविल इंजीनियरी विभाग के समान स्तर का अधिकारी निविदा समिति के संयोजक के रूप में कार्य करेगा। • संयोजक के समान स्तर का भंडार विभाग का अधिकारी निविदा समिति का तीसरा सदस्य होगा। <p>^ सिविल इंजीनियरी विभाग का समान स्तर का अधिकारी स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी होगा।</p> <p># रेलपथ मदें वे मदें हैं जो भंडार संहिता के पैरा 702 में परिभाषित की गई हैं।</p> <p>** इन नियमों में प्रयुक्त "महाप्रबंधक" शब्द का आशय रेलों के महाप्रबंधक के अलावा, महानिदेशक/अ.अ.मा.सं. और रेलवे बोर्ड के सीधे नियंत्रण में कार्यरत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से भी है।</p>			

नोट-। ऊपर 1.0(क) और (ख) के लिए: बहरहाल, उपर्युक्त, निविदा समितियों के गठन और निविदाओं की स्वीकृति करने की शक्तियों की उच्चतम सीमाएं हैं। महाप्रबंधक, सीओएस और वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के परामर्श में स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निम्नतर सीमाएं निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

यदि किसी मद की मांग बहु-विभागों के लिए हो तो महाप्रबंधक सीओएस और वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के परामर्श से किसी एक मांगकर्ता विभाग से तीसरा सदस्य नामित कर सकता है।

1.1 सीमित निविदाओं/बुलेटिन निविदाओं को जारी करने के लिए संशोधित मूल्य सीमा:-

क. सामान्य परिस्थितियों में:

	जारी करने वाले प्राधिकारी का स्तर	मौजूदा मूल्य सीमा	संशोधित मूल्य सीमा
(i)	एएमएम	3 लाख रुपये तक	3 लाख रुपए तक
(ii)	एसएमएम	8 लाख रुपये तक	8 लाख रुपए तक
(iii)	डिप्टी सीएमएम और उससे ऊपर के अधिकारी	15 लाख रुपये तक	25 लाख रुपए तक

ख. आपातकालीन परिस्थितियों में:

	जारी करने वाले प्राधिकारी का स्तर	मौजूदा मूल्य सीमा	संशोधित मूल्य सीमा
(i)	डिप्टी सीएमएम	45 लाख रुपये तक	1.5 करोड़ रुपये तक
(ii)	सीएमएम	1.5 करोड़ रुपये तक	5 करोड़ रुपये तक
(iii)	सीओएस	3 करोड़ रुपये तक	10 करोड़ रुपये तक
(iv)	एजीएम	5 करोड़ रुपये तक	20 करोड़ रुपये तक

सन्तोष मिश्रा

अशोक

ग.

		मौजूदा मूल्य सीमा		संशोधित मूल्य सीमा	
(i)	संरक्षा मदों के लिए	एएमएम	3 लाख रुपये तक	एएमएम	3 लाख रुपये तक
(ii)	उन मदों के लिए जिनके लिए केंद्रीकृत एंजेसियों/अ.अ.मा.सं./पीयू/कोर द्वारा अनुमोदित सूची जारी की जाती है।	एसएमएम	8 लाख रुपये तक	एसएमएम	8 लाख रुपये तक
		डिप्टी सीएमएम	45 लाख रुपये तक	डिप्टी सीएमएम	1.5 करोड़ रुपये तक
		सीएमएम	1.5 करोड़ रुपये तक	सीएमएम	5 करोड़ रुपये तक
		सीओएस	3 करोड़ रुपये तक	सीओएस	10 करोड़ रुपये तक
		एजीएम	5 करोड़ रुपये तक	एजीएम	20 करोड़ रुपये तक

1.2 विज्ञापित निविदाओं को जारी करने के लिए संशोधित मूल्य सीमा (सामान्य परिस्थितियों में): 25 लाख रुपए से अधिक

		मौजूदा मूल्य सीमा	संशोधित मूल्य सीमा
(i)	सीओएस	पूर्ण शक्तियां*	पूर्ण शक्तियां*
(ii)	सीएमएम/डिप्टीसीएमएम/एसएमएम/एएमएम	स्वीकृति करने की उनकी शक्तियों तक	स्वीकृति करने की उनकी शक्तियों तक

* वैश्विक निविदाओं के लिए: वित्त विभाग की सहमति (रेलवे बोर्ड के दिनांक 09.11.2015 के पत्र सं. 2008/आरएस (जी)/779/12 के अनुसार आयात आधारित अनिवार्यता) और सीओएस की स्वीकृति करने की शक्तियों तक के लिए उसका अनुमोदन अपेक्षित होगा। ये शक्तियां नीचे के स्तर के अधिकारियों को प्रत्यायोजित नहीं की जाएंगी।

2.0 विभिन्न अन्य मामलों में शक्तियों में निम्नानुसार वृद्धि की जाती है:-

क्र. सं.	मद	मौजूदा प्रत्यायोजन	संशोधित प्रत्यायोजन
1.	केन्द्रीकृत प्रापण एंजेसी अथवा सीधी खरीद के लिए निविदाएं जारी करने के लिए इंडेंट प्रस्तुत करने से पूर्व मात्रा के संबंध में अनुमोदन। (बोर्ड के दिनांक 12.3.2015 के पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14 का पैरा सं. 2.0 क्रम सं. 1)	सीओएस - पूर्ण शक्तियां सीएमएम/डिप्टी सीएमएम /एसएमएम/एएमएम- स्वीकृति करने की उनकी शक्तियों तक।	सीओएस - पूरी शक्तियां सीएमएम/डिप्टी सीएमएम/ एसएमएम/एएमएम- स्वीकृति करने की उनकी शक्तियों तक।
2.	बिना वित्तीय सहमति के नॉन प्रोप्राइटरी मदों के लिए एकल निविदा आमंत्रित करना : (क) सामान्य परिस्थितियों में (ख) अनुरक्षण, आउट टर्न, परिचालन आदि को प्रभावित करने	क. सीओएस/सीएमएम- 5 लाख रुपये तक. ख. सीओएस/सीएमएम- 8 लाख रुपये तक	क. सीओएस/सीएमएम- 8 लाख रुपये तक ख. सीओएस/सीएमएम- 25 लाख रुपये तक

सन्तोष मिश्रा

अधीक

पृष्ठ 17 का 4

	वाली आपातकालीन परिस्थितियों में। (बोर्ड के दिनांक 12.3.2015 के पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14 का पैरा सं. 2.0 क्रम सं. 2)		
3.	खरीद आदेशों की विधीक्षा। (बोर्ड के दिनांक 12.3.2015 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14 का पैरा सं. 2.0 क्रम सं. 3)	1. संरक्षा मर्दों के लिए 12 लाख रुपये से अधिक 2. संरक्षा मर्दों से भिन्न मर्दों के लिए 6 लाख रुपये से अधिक	1. संरक्षा मर्दों के लिए 15 लाख रुपये से अधिक 2. संरक्षा मर्दों से भिन्न मर्दों के लिए 8 लाख रुपये से अधिक
4.	केंद्रीकृत प्रापण एजेंसियों को खरीद के लिए दिए जाने वाले आदेशों की सीओएस कार्यालय द्वारा विधीक्षा। (बोर्ड के दिनांक 12.3.2015 के पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14पार्ट का पैरा सं. 2.0 क्रम सं. 4)	निम्नलिखित खरीद आदेश की विधीक्षा के समान ही 1. संरक्षा मर्दों के लिए 12 लाख रुपये से अधिक 2. संरक्षा मर्दों से भिन्न के लिए 6 लाख रुपये से अधिक	निम्नलिखित खरीद आदेश की विधीक्षा के समान ही 1. संरक्षा मर्दों के लिए 15 लाख रुपये से अधिक 2. संरक्षा मर्दों से भिन्न मर्दों के लिए 8 लाख रुपये से अधिक
5.	गैर-स्टॉक मांगों/मांगपत्रों की विधीक्षा। (बोर्ड के दिनांक 12.3.2015 के पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14 का पैरा सं. 2.0 क्रम सं. 5)	1. संरक्षा मर्दों के लिए 3 लाख रुपये से अधिक के लिए 2. संरक्षा मर्दों से भिन्न के लिए 1.5 लाख रुपये से अधिक के लिए	1. संरक्षा मर्दों के लिए 5 लाख रुपये से अधिक के लिए 2. संरक्षा मर्दों से भिन्न के लिए 2.5 लाख रुपये से अधिक के लिए
6.	डीजीएसएंडडी दरों/चालू संविदा के लिए आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करना (बोर्ड के दिनांक 12.3.2015 के पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14 का पैरा सं. 2.0 क्रम सं. 6)	सीओएस- पूर्ण शक्तियां सीएमएम/डि-टी सीएमएम/एसएमएम- उनके स्वीकृत करने के स्तर के अनुसार	सीओएस- पूर्ण शक्तियां सीएमएम/डि-टी सीएमएम/एसएमएम- उनके स्वीकृत करने के स्तर के अनुसार
7.	यदि भंडार की तत्काल आवश्यकता हो अथवा इसे स्थानीय अथवा निकट के स्टेशन से सुविधाजनक रूप से प्राप्त किया जा सकता हो तो सीओएस द्वारा ऐसी मर्दों की सीधी खरीद करना जिसके लिए डीजीएसएंडडी ने दर तय की हो /चालू ठेका हो, (बोर्ड के दिनांक 12.3.2015 के पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14 का पैरा सं. 2.0 क्रम सं. 7)	प्रत्येक मामले में 1.5 लाख रुपये तक परन्तु प्रत्येक मामले में प्रत्येक वर्ष के लिए 8 लाख रुपये की अधिकतम सीमा होगी।	प्रत्येक मामले में 8 लाख रुपये तक परन्तु प्रत्येक मामले में प्रत्येक वर्ष 25 लाख रुपये की अधिकतम सीमा होगी।
8.	बिना पूर्व वित्तीय सहमति के संविदा की आईआरएस शर्तों से हटकर स्वीकृति प्रदान करना। (बोर्ड के दिनांक 12.3.2015 के पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14 का पैरा सं. 2.0 क्रम सं. 8)	1. सीधी स्वीकृति के मामले में- स्वीकृति की सामान्य शक्तियों के स्तर से एक स्तर ऊपर परंतु कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से नीचे का स्तर नहीं। 2. निविदा समितियों के	1. सीधी स्वीकृति के मामले में- स्वीकृति की सामान्य शक्तियों के स्तर से एक स्तर ऊपर परंतु कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से नीचे का स्तर नहीं। 2. निविदा समितियों के

		मामले में- निविदा की स्वीकृति की सामान्य शक्ति।	मामले में- निविदा की स्वीकृति की सामान्य शक्ति।
9.	भंडार संहिता वाल्यूम 1 के पैरा 328-एस के अनुसार निविदाओं (खुली, सीमित, बुलेटिन एवं एकल निविदाएं) के सामान्य माध्यम द्वारा मर्दों की खरीद के लिए मंडल भंडार अधिकारियों और डिपो भंडार अधिकारियों की शक्ति। (बोर्ड के दिनांक 12.3.2015 के पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14 का पैरा सं. 2.0 क्रम सं. 9)	<p>क) तत्काल अपेक्षित स्टॉक मर्दों के लिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. वरिष्ठ डीएमएम/डिप्टी सीएमएम(डिपो)- प्रति मामला 3 लाख रुपये। 2. डीएमएम/एसएमएम(डिपो) स्वतंत्र प्रभार- के मामले में वरिष्ठ डीएमएम/डिप्टी सीएमएम(डिपो) के समान। 3. डीएमएम/एसएमएम(डिपो) स्वतंत्र प्रभार न होने के मामले में- प्रति मामला 1.5 लाख रुपये। 4. सहायक डीएमएम/एएमएम(डिपो) स्वतंत्र प्रभार- के मामले में उन वरिष्ठ डीएमएम/एसएमएम(डिपो) के समान जिनके पास स्वतंत्र प्रभार न हो। 5. सहायक डीएमएम/एएमएम(डिपो) स्वतंत्र प्रभार न होने वाले मामलों में - प्रति मामला 1 लाख रुपये, <p>(ख) ऐसी स्टॉक मर्दों के लिए जो उपर्युक्त (क) में शामिल नहीं हैं।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. वरिष्ठ डीएमएम/डिप्टी सीएमएम(डिपो)- प्रति मामला 2 लाख रुपये। 2. डीएमएम/एसएमएम(डिपो) स्वतंत्र प्रभार- वरिष्ठ डीएमएम/डिप्टी सीएमएम (डिपो) के समान। 3. डीएमएम/एसएमएम(डिपो) स्वतंत्र प्रभार न होने के मामले में - प्रति मामला 1 लाख रुपये। 4. सहायक एएमएम(मंडल)/एएमएम(डिपो)- प्रति मामला 1 लाख रुपये। <p>उपर्युक्त (क) और (ख) के लिए उपर्युक्त शक्तियों का उपयोग वार्षिक उच्चतम सीमा, जिसका</p>	<p>(क) तत्काल अपेक्षित स्टॉक मर्दों के लिए।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. वरिष्ठ डीएमएम/डिप्टी सीएमएम(डिपो)- प्रति मामला 5 लाख रुपये। 2. डीएमएम/एसएमएम(डिपो) स्वतंत्र प्रभार- वरिष्ठ डीएमएम/डिप्टी सीएमएम(डिपो) के समान। 3. डीएमएम/एसएमएम(डिपो) स्वतंत्र प्रभार न होने के मामले में प्रति मामला 2 लाख रुपये। 4. सहायक डीएमएम/एएमएम(डिपो) स्वतंत्र प्रभार- स्वतंत्र प्रभार न होने वाले डीएमएम/एसएमएम(डिपो) के समान। 5. सहायक डीएमएम/एएमएम(डिपो) स्वतंत्र प्रभार न होने वाले मामले में- प्रति मामला 1.5 लाख रुपये। <p>(ख) ऐसी स्टॉक मर्दों के लिए जो उपर्युक्त (क) में शामिल नहीं हैं।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. वरिष्ठ डीएमएम/डिप्टी सीएमएम(डिपो)- प्रति मामला 3 लाख रुपये। 2. डीएमएम/एसएमएम(डिपो) स्वतंत्र प्रभार- वरिष्ठ डीएमएम/डिप्टी सीएमएम (डिपो) के समान। 3. डीएमएम/एसएमएम(डिपो) स्वतंत्र प्रभार न होने के मामले में - प्रति मामला 1.5 लाख रुपये। 4. एएमएम(मंडल)/एएमएम(डिपो)- प्रति मामला 1.5 लाख रुपये। <p>उपर्युक्त (क) और (ख) के लिए उपर्युक्त शक्तियों का उपयोग वार्षिक उच्चतम सीमा, जिसका निर्धारण संबंधित वित्त के परामर्श में सीओएस द्वारा किया जाएगा, के भीतर किया जाना है,</p> <p>(ग) सभी नॉन-स्टॉक मर्दें</p>

संज्ञा मित्र

अशोक

		<p>निर्धारण संबंधित वित्त के परामर्श में सीओएस द्वारा किया जाएगा, के भीतर किया जाना है,</p> <p>ग) सभी नॉन स्टॉक मदें. डिपो/मण्डल भण्डार अधिकारी- 1. वरिष्ठ डीएमएम/डिप्टी सीएमएम(डिपो)/डीएमएम/एसएमएम(डिपो)/सहायक डीएमएम/एसएमएम(डिपो)- मुख्यालय के तदनुसूची स्तर के भण्डार अधिकारियों की सीधी स्वीकृति के समान (मण्डल/डिपो अधिकारियों को कोई निविदा शक्ति नहीं है)</p> <p>ऊपर (ग) के लिए- किसी वर्ष दायिता, बजट आबंटन से ज्यादा न हो यह सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक मांग पर मांगकर्ता द्वारा धन की उपलब्धता का प्रमाणन दिया जाएगा।</p>	<p>(टर्नकी संविदा के लिए की जाने वाली खरीद सहित). डिपो/मंडल भंडार अधिकारी- (वरिष्ठ डीएमएम/डिप्टी सीएमएम (डिपो)/ डीएमएम/एसएमएम(डिपो)/ सहायक डीएमएम/एसएमएम(डिपो)- मुख्यालय के तदनुसूची स्तर के भण्डार अधिकारियों की सीधी स्वीकृति एवं निविदा समिति की शक्तियों के समान। निविदा समिति के मामले में पैरा 1.0 (ख) में दी गई शक्तियों के प्रत्यायोजन के आधार पर स्वीकृति सीएमएम द्वारा दी जाएगी।</p> <p>ऊपर (ग) के लिए- किसी वर्ष दायिता, बजट आबंटन से ज्यादा न हो यह सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक मांग पर मांगकर्ता द्वारा धन की उपलब्धता का प्रमाणन दिया जाएगा।</p>
10.	<p>डीजीएसएंडडी दर अनुबन्धों के आपूर्ति आदेश देने के लिए मंडल के भंडार और डिपो भंडार अधिकारियों की शक्तियां (बोर्ड का दिनांक 12.3.2015 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14पार्ट का पैरा सं. 2.0 क्रम सं. 10)</p>	<p>1. वरिष्ठ डीएमएम/डिप्टी सीएमएम(डिपो)- प्रति मामला 3 लाख रुपये। 2. डीएमएम/एसएमएम(डिपो) स्वतंत्र प्रभार - वरिष्ठ डीएमएम/डिप्टी सीएमएम (डिपो) के समान 3. डीएमएम/एसएमएम (डिपो) स्वतंत्र प्रभार न होने के मामले में - प्रति मामला 1.5 लाख रुपये। 4. सहायक डीएमएम/एसएमएम(डिपो) स्वतंत्र प्रभार-स्वतंत्र प्रभार न होने वाले डीएमएम/एसएमएम(डिपो) के समान। 5. सहायक डीएमएम/एसएमएम(डिपो) स्वतंत्र प्रभार न होने के मामले में- प्रति मामला 1 लाख रुपये। उपर्युक्त शक्तियों का उपयोग वार्षिक उच्चतम सीमा, जिसका निर्धारण संबंधित</p>	<p>1. वरिष्ठ डीएमएम/डिप्टी सीएमएम(डिपो)- प्रत्येक मामला 5 लाख रुपये। 2. डीएमएम/एसएमएम (डिपो) स्वतंत्र प्रभार - डीएमएम/डिप्टीसीएमएम (डिपो) के समान। 3. डीएमएम/एसएमएम (डिपो) स्वतंत्र प्रभार न होने के मामले में - प्रति मामला 2 लाख रुपये। 4. सहायक डीएमएम/एसएमएम(डिपो)-स्वतंत्र प्रभार-स्वतंत्र प्रभार न होने वाले डीएमएम/एसएमएम(डिपो) के समान। 5. सहायक डीएमएम/एसएमएम(डिपो) स्वतंत्र प्रभार न होने के मामले में प्रति मामला 1.5 लाख रुपये। उपर्युक्त शक्तियों का उपयोग वार्षिक उच्चतम सीमा, जिसका निर्धारण संबंधित वित्त के परामर्श में सीओएस द्वारा</p>

		वित्त के परामर्श में सीओएस द्वारा किया जाएगा, के भीतर किया जाना है, इन शक्तियों का प्रयोग उपलब्ध बजटीय सीमा और प्रत्येक मांग आबंटन और प्राथमिक इकाई के अनुसार किया जाएगा।	किया जाएगा, के भीतर किया जाना है। इन शक्तियों का प्रयोग उपलब्ध बजटीय सीमा और प्रत्येक मांग आबंटन और प्राथमिक इकाई के अनुसार किया जाएगा।
11.	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का एक ही अधिकारी होने के मामले में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर की निविदा समिति के सदस्य (बोर्ड का दिनांक 12.3.2015 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14पार्ट पैरा 2.0 क्रम सं. 11)	<p>1. केवल एक वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी होने के मामले में, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर का वित्त अधिकारी 12 करोड़ रुपये तक के लिए निविदा समिति का सदस्य होगा।</p> <p>2. वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का केवल एक भंडार अधिकारी होने के मामले में, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर का भंडार अधिकारी 12 करोड़ रुपये तक के लिए निविदा समिति का सदस्य होगा।</p> <p>3. उपयोगकर्ता विभाग में केवल एक वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर का अधिकारी होने के मामले में, उपयोगकर्ता विभाग का कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर का अधिकारी 12 करोड़ रुपये तक के लिए निविदा समिति का सदस्य होगा।</p>	<p>1. केवल एक वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का वित्त अधिकारी होने के मामले में, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर का वित्त अधिकारी 120 करोड़ रुपये तक के लिए निविदा समिति का सदस्य होगा।</p> <p>2. वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का केवल एक भंडार अधिकारी होने के मामले में, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर का भंडार अधिकारी 120 करोड़ रुपये तक के लिए निविदा समिति का सदस्य होगा।</p> <p>3. उपयोगकर्ता विभाग में केवल एक वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर का अधिकारी होने के मामले में, उपयोगकर्ता विभाग का कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर का अधिकारी 120 करोड़ रुपये के लिए निविदा समिति का सदस्य होगा।</p>
12.	यदि कीमत उपयुक्त पाई जाए तो सीमित निविदा के मामले में सिंगल कोटेशन प्राप्त होने की स्थिति में तात्कालिकता प्रमाणन (बोर्ड का दिनांक 12.3.2015 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14पार्ट पैरा 2.0 क्रम सं. 12)	<p>1. 1 लाख रुपये तक की सभी खरीदों के लिए कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड* स्तर का अधिकारी।</p> <p>2. 1 लाख रुपये से अधिक की सभी खरीदों के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड* स्तर का अधिकारी।</p> <p>* स्टॉक मदों के लिए भंडार विभाग के अधिकारी और नॉन स्टॉक मदों के लिए मांगकर्ता विभाग के अधिकारी द्वारा तात्कालिकता प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।</p>	<p>1. 8 लाख रुपये तक की सभी खरीदों के लिए कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड* स्तर का अधिकारी।</p> <p>2. 8 लाख रुपये से अधिक की सभी खरीदों के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड* स्तर का अधिकारी।</p> <p>* स्टॉक मदों के लिए भंडार विभाग के अधिकारी और नॉन स्टॉक मदों के लिए मांगकर्ता विभाग के अधिकारी द्वारा तात्कालिकता प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।</p>

13.	कम मूल्य के स्टॉक तथा नॉन स्टॉक दोनों प्रकार की मर्दों की स्थानीय खरीद करना। (बोर्ड का दिनांक 12.3.2015 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14पार्ट पैरा 2.0 क्रम सं. 13)	प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये तक। बहरहाल, एकल कोटेशन दर के आधार पर प्रत्येक मद की स्थानीय खरीद के लिए 15,000/- रुपये तक की शक्ति होगी।	प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये तक। बहरहाल, एकल कोटेशन के आधार पर प्रत्येक मद की स्थानीय खरीद के लिए 25,000/- रुपये तक की शक्ति होगी।
14.	डिपो अधिकारियों द्वारा सामग्री संचालन उपकरण किराए पर लेना। (बोर्ड का दिनांक 12.3.2015 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14पार्ट पैरा 2.0 क्रम सं. 14)	1. डिप्टी सीएमएम/ डिपो, 3 लाख रुपये की मासिक सीमा सहित प्रत्येक मामले में 30,000/- रुपये तक। 2. एसएमएम/ (डिपो-स्वतंत्र प्रभार), 1.5 लाख रुपये की मासिक सीमा सहित प्रत्येक मामले में 15,000/- रुपये तक। 3. एएमएम(डिपो-स्वतंत्र प्रभार) 75,000/- रुपये की मासिक सीमा सहित प्रत्येक मामले में 75,00/- रुपये तक।	1. डिप्टी सीएमएम/ डिपो, 5 लाख रुपये की मासिक सीमा सहित प्रत्येक मामले में 50,000/- रुपये तक। 2. एसएमएम/ (डिपो-स्वतंत्र प्रभार), 2.5 लाख रुपये की मासिक सीमा सहित प्रत्येक मामले में 25,000/- रुपये तक। 3. एएमएम(डिपो - स्वतंत्र प्रभार) 1.5 लाख रुपये की मासिक सीमा सहित प्रत्येक मामले में 15,000/- रुपये तक।
15.	सामग्री सहायता के लिए डिपो/मंडल अधिकारियों द्वारा अन्य रेलवे इकाइयों में खरीद आदेश देना। (बोर्ड का दिनांक 12.3.2015 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14पार्ट का पैरा 2.0, क्रम सं. 15)	1. वरिष्ठ डीएमएम/डिप्टी सीएमएम (डिपो) "बुक दर पर पूर्ण शक्तियां" 2. डीएमएम/एसएमएम (डिपो) स्वतंत्र प्रभार - "बुक दर पर पूर्ण शक्तियां" 3. डीएमएम/एसएमएम (डिपो) स्वतंत्र प्रभार न होने के मामले में-"बुक दर पर पूर्ण शक्तियां" 4. सहायक डीएमएम/एएमएम (डिपो) स्वतंत्र प्रभार - "बुक दर पर पूर्ण शक्तियां" 5. सहायक डीएमएम/एएमएम (डिपो) स्वतंत्र प्रभार न होने के मामले में-"बुक दर पर पूर्ण शक्तियां"	1. वरिष्ठ डीएमएम/डिप्टी सीएमएम (डिपो) "बुक दर पर पूर्ण शक्तियां" 2. डीएमएम/एसएमएम (डिपो) स्वतंत्र प्रभार - "बुक दर पर पूर्ण शक्तियां" 3. डीएमएम/एसएमएम (डिपो) स्वतंत्र प्रभार न होने के मामले में - "बुक दर पर पूर्ण शक्तियां" 4. सहायक डीएमएम/एएमएम (डिपो) स्वतंत्र प्रभार - "बुक दर पर पूर्ण शक्तियां" 5. सहायक डीएमएम/एएमएम (डिपो) स्वतंत्र प्रभार न होने के मामले में - "बुक दर पर पूर्ण शक्तियां"
16.	स्टील की मर्दों के संबंध में मैसर्स सेल, टिस्को, आईआईएससीओ, आरआईएनएल के स्टॉक यार्ड/ बफर आयत से एकल निविदा खरीद को स्वीकार करना और उनके लिए 100% भुगतान अग्रिम में करना। (बोर्ड का दिनांक 12.3.2015 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14पार्ट का पैरा 2.0 क्रम सं. 16)	सीओएस- 5 करोड़ रुपये सीएमएम-3 करोड़ रुपये	सीओएस- 10 करोड़ रुपये सीएमएम- 5 करोड़ रुपये डिप्टी सीएमएम-45 लाख रुपए

17.	सभी प्रकार की वैश्विक निविदाएं आमंत्रित करना (बोर्ड का दिनांक 12.3.2015 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14पार्ट का पैरा 2.0 क्रम सं. 17)	सीओएस-वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी की सहमति के साथ उसकी स्वीकृति की पूर्ण शक्ति तक।	सीओएस-वित्त की सहमति के साथ उसकी स्वीकृति की पूर्ण शक्ति तक। (बोर्ड के दिनांक 9.11.2015 पत्र के आधार पर आयात की अनिवार्यता)
18.	एफई को रिलीज करना और साख-पत्र/टीटी के माध्यम से भुगतान करना। (बोर्ड का दिनांक 12.3.2015 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14पार्ट का पैरा 2.0 क्रम सं. 18)	सीओएस/सीएमएम- उनकी स्वीकृति की शक्ति तक।	सीओएस/सीएमएम- उनकी स्वीकृति की शक्ति तक।
19.	पीएसी पर हस्ताक्षर करना (बोर्ड का दिनांक 12.3.2015 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14पार्ट का पैरा 2.0 क्रम सं. 19 और बोर्ड के दिनांक 08/11/91 और 25/03/92 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/28)	मांगकर्ता अधिकारी -40,000/- रुपये तक कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/ प्रवरण ग्रेड अधिकारी- 1 लाख रुपये तक वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी- 5 लाख रुपये तक पीएचओडी/सीएचओडी -5 लाख रुपये से अधिक	मांगकर्ता अधिकारी - 75,000/- रुपये तक कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/प्रवरण ग्रेड अधिकारी- 3 लाख रुपये तक वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी- 15 लाख रुपये तक पीएचओडी/सीएचओडी -15 लाख रुपये से अधिक
20.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बाजार में लाए गए तेल और स्नेहक की एकल निविदा के आधार पर खरीद (बोर्ड का दिनांक 12.3.2015 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14पार्ट का पैरा 2.0 क्रम सं. 20)	वित्तीय सहमति के साथ सीओएस को प्रत्येक मामले में 5 करोड़ रुपये तक और सीएमएम को 3 करोड़ रुपये तक और निविदा समितियों की जांच जैसी औपचारिकताओं के बिना फर्म को 100% अग्रिम भुगतान करना। यदि मूल्य सरकार द्वारा शासित नहीं है तो एकल निविदा के स्थान पर सीमित निविदा आमंत्रित की जाए।	वित्तीय सहमति के साथ, सीओएस को प्रत्येक मामले में 10 करोड़ रुपये तक और सीएमएम को 5 करोड़ रुपये तक और निविदा समितियों की जांच जैसी औपचारिकताओं के बिना फर्म को 100% अग्रिम भुगतान करना। यदि मूल्य सरकार द्वारा शासित नहीं है तो एकल निविदा के स्थान पर सीमित निविदा आमंत्रित की जाए। सीमित निविदा आमंत्रित करने के लिए वित्तीय सहमति अपेक्षित नहीं है।
21.	ऐसी प्रोप्राइटी मर्गों, जिनके बारे में यह प्रमाणित करना संभव हो कि समान वस्तु, जिसे उनके बदले में प्रयोग किया जा सकता है, किसी अन्य फर्म द्वारा विनिर्मित नहीं की जाती/ बेची नहीं जाती है, के लिए एकल निविदा आमंत्रित करना। (पीएसी 6 'सी' प्रमाणित) (बोर्ड का दिनांक 12.3.2015 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14पार्ट का पैरा 2.0 क्रम सं. 21)	सीओएस/सीएमएम/डिप्टी सीएमएम/एसएमएम/एएमएम- स्वीकृति के उनके स्तर तक।	सीओएस/सीएमएम/डिप्टी सीएमएम/एसएमएम/एएमएम - स्वीकृति के उनके स्तर तक।

सन्तोष मिश्रा

अशोक

22.	<p>ऐसी मर्दों, जिनके बारे में यह प्रमाणित करना संभव न हो कि समान वस्तु, जिन्हें उनके बदले में प्रयोग किया जा सकता है, किसी अन्य फर्म द्वारा विनिर्मित नहीं का जाती है/ बेची नहीं जाती है, के लिए एकल निविदा आमंत्रित करना। (पीएसी6 'ए' प्रमाणित) (बोर्ड का दिनांक 12.3.2015 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14पार्ट का पैरा 2.0 क्रम सं. 22)</p>	<p>सीओएस - 8 लाख रुपये सीएमएम- 5 लाख रुपये डिप्टी सीएमएम- 3 लाख रुपये एसएमएम- 1.5 लाख रुपये एएमएम- 75,000/- रुपये</p>	<p>सीओएस - 15 लाख रुपये सीएमएम- 8 लाख रुपये डिप्टी सीएमएम- 5 लाख रुपये एसएमएम- 3 लाख रुपये एएमएम- 1 लाख रुपये</p>
23.	<p>विकासशील मर्दों के लिए एकल निविदा आमंत्रित करना। (बोर्ड का दिनांक 12.3.2015 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14पार्ट का पैरा 2.0 क्रम सं. 23)</p>	<p>सीओएस- 8 लाख रुपये सीएमएम- 5 लाख रुपये डिप्टी सीएमएम- 3 लाख रुपये</p>	<p>सीओएस- 15 लाख रुपये सीएमएम- 8 लाख रुपये डिप्टी सीएमएम- 5 लाख रुपये</p>
24.	<p>वित्तीय सहमति सहित प्रोफार्मा चालान के संबंध में 100% अग्रिम भुगतान (बोर्ड का दिनांक 12.3.2015 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14पार्ट का पैरा 2.0 क्रम सं. 24)</p>	<p>सीधे स्वीकृति के मामलों में - सीएमएम-8 लाख रुपये तक सीओएस- 15 लाख रुपये तक निविदा समिति के मामलों में - सीओएस की अपनी स्वीकृति की शक्तियों तक</p>	<p>सीधे स्वीकृति के मामले में - सीएमएम-15 लाख रुपये तक सीओएस- 25 लाख रुपये तक निविदा समिति के मामलों में - सीओएस की अपनी स्वीकृति की शक्तियों तक</p>
25.	<p>संविदा में भारतीय रेलवे में संविदा की मानक शर्तों में अन्तर होना (बोर्ड का दिनांक 12.3.2015 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14पार्ट का पैरा 2.0 क्रम सं. 25 और बोर्ड के दिनांक 14.01.2016 के पत्र सं. 2001/आरएस(जी)779/14)</p>	<p>कम वसूली में अत्यधिक प्रशासनिक व्यय लगने से बचने के लिए संविदा के बाद के स्तर पर संविदा (8 लाख रुपये तक की संविदा राशि की) में उल्लिखित 'परिनिर्धारित नुकसान', 'जोखिम खरीद' और 'मध्यस्थता' से संबंधित खण्डों को सीओएस द्वारा माफ किया जा सकता है।</p>	<p>1. कम वसूली में अत्यधिक प्रशासनिक व्यय से बचने के लिए संविदा के बाद के स्तर पर संविदा (15 लाख रुपये तक की राशि की संविदा में) उल्लिखित 'परिनिर्धारित नुकसान', 'जोखिम खरीद' और 'मध्यस्थता' से संबंधित खण्डों को सीओएस द्वारा माफ किया जा सकता है। 2(क) 15 लाख रुपए तक की संविदाओं के लिए सीओएस/सीएमएम द्वारा बिना वित्त की सहमति लिए संविदा के बकाया मूल्य के 10% की दर पर जीडी लगाकर प्रत्येक मामले में आरपी को माफ किया जा सकता है। 2(ख) 15 लाख रुपए से अधिक राशि की संविदाओं के लिए सीओएस/सीएमएम द्वारा संविदा के बकाया मूल्य का 10% की दर पर जीडी लगाकर प्रत्येक</p>

संतोष मिश्रा

अधिक

			<p>मामले में आरपी को माफ किया जा सकता है।</p> <p>नोट1: ऊपर 2(क) और 2(ख) में उल्लिखित उपयुक्त निर्णय, नई निविदा जारी करते समय लिया जाना चाहिए। इसके अलावा जिस सीमा तक एसडी ली गई है {उदाहरण के लिए मूल्य 'ए' (जो संविदा के मूल्य 10% से कम है)}, ऐसे मामलों में जीडी के लिए राशि के अन्तर के लिए ही जीडी वसूल की जाएगी अर्थात् वसूल की जाने वाली जीडी (मान लो बी है) संविदा के बकाया मूल्य के 10% में प्रस्तुत एसडी (ए) को घटाकर प्राप्त होने वाली राशि के बराबर होगी। ऐसे मामलों में एसडी की राशि 'ए' को जब्त कर लिया जाएगा और जीडी की राशि 'बी' को फर्म से वसूल किया जाएगा।</p> <p>नोट2: 15 लाख रुपए से अधिक की संविदाओं के लिए जब कभी बिना जीडी लगाए आरपी को माफ किया जाता है तो सीओएस/सीएमएम वित्त की सहमति प्राप्त करेगा।</p>
26.	<p>जोखिम खरीद, सामान्य क्षति, परिनिर्धारित नुकसान के कारण हुए नुकसान को बड़े खातों में डालना। (बोर्ड का दिनांक 12.3.2015 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14पार्ट का पैरा 2.0 क्रम सं. 26)</p>	<p>सीओएस- 1.5 लाख रुपये तक सीएमएम- 75,000/- रुपये तक डिप्टी सीएमएम- 40,000/- रुपये तक</p> <p>इन शक्तियों को अत्यधिक सावधानी से और केवल तभी प्रयोग में लाया जाना चाहिए जब वसूली के लिए मध्यस्थता और विधिक कार्रवाई के माध्यम को छोड़कर अन्य सभी तरीकों का प्रयोग कर लिया गया हो। दोषी फर्मों के विरुद्ध उचित प्रशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए।</p>	<p>सीओएस- 1.5 लाख रुपये तक सीएमएम- 75,000/- रुपये तक डिप्टी सीएमएम- 40,000/- रुपये तक</p> <p>इन शक्तियों को अत्यधिक सावधानी से और केवल तभी प्रयोग में लाया जाना चाहिए जब वसूली के लिए मध्यस्थता और विधिक कार्रवाई के माध्यम को छोड़कर अन्य सभी तरीकों का प्रयोग कर लिया गया हो। दोषी फर्मों के विरुद्ध उचित प्रशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए।</p>
27.	<p>बोर्ड के दिनांक 27.02.1980 के पत्र सं. 73/आरएस(जी)/779/59 में निहित शर्तों के अनुसार प्रेषिती द्वारा डिलीवरी की समय-सीमा के समाप्त होने के पश्चात् भेजे गए भण्डार को स्वीकार करना।</p>	<p>क. 5 लाख रुपये तक के मूल्य के आदेश के लिए 6 माह तक का विलम्ब। ख. 5 लाख रुपये से 8 लाख रुपये तक के मूल्य के आदेश के लिए 21 दिनों का विलम्ब</p>	<p>क. 8 लाख रुपये के मूल्य के आदेश के लिए 6 माह तक का विलम्ब। ख. 8 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक के मूल्य के आदेश के लिए 21 दिनों का विलम्ब बशर्त</p>

	(बोर्ड का दिनांक 12.3.2015 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14पार्ट का पैरा 2.0 क्रम सं. 27)	बशर्ते कि आरम्भिक डिलीवरी समय-सीमा 6 माह से अधिक न हो।* 8 लाख रुपये से अधिक मूल्य के अन्य सभी आदेशों के लिए खरीद कार्यालय से डिलीवरी की समय-सीमा को बढ़ाया जाना आवश्यक होगा।* (*बोर्ड के दिनांक 27.02.1980 के पत्र सं 73/आरएस(जी)/779/59 में अन्तर्विष्ट शर्तों के अनुसार)।	कि आरम्भिक डिलीवरी समय-सीमा 6 माह से अधिक न हुई हो।* 15 लाख रुपये से अधिक मूल्य के अन्य सभी आदेशों के लिए डिलीवरी अवधि को बढ़ाए जाने से पूर्व खरीद कार्यालय से डिलीवरी की समय-सीमा को बढ़ाया जाना आवश्यक होगा।* (*बोर्ड के दिनांक 27.02.1980 के पत्र सं 73/आरएस(जी)/779/59 में अन्तर्विष्ट शर्तों के अनुसार)।
28.	संविदा में बिना किसी औपचारिक संशोधन के डिपो अधिकारी द्वारा आधिक्य/ कम आपूर्ति को स्वीकार करना। (बोर्ड का दिनांक 12.3.2015 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14पार्ट का पैरा 2.0 क्रम सं. 28)	संविदा के कुल मूल्य के 5% तक अथवा 5 लाख रुपये तक, जो भी कम हो, बशर्ते कि प्राप्ति का कुल मूल्य सीओएस की सामान्य खरीद की शक्तियों से ज्यादा न हो।	संविदा के कुल मूल्य के 5% तक अथवा 8 लाख रुपये तक, जो भी कम हो, बशर्ते कि प्राप्ति का कुल मूल्य सीओएस की सामान्य खरीद की शक्तियों से ज्यादा न हो।

3.0 रेलवे बोर्ड के दिनांक 12.03.2015 के पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14पार्ट के पैरा 3 में अन्तर्विष्ट संरक्षा मर्दानों की खरीद के लिए प्रत्याभूति राशि से संबंधित 15 लाख रुपये की मूल्य सीमा को संशोधित करके 25 लाख रुपये किया गया है।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

संतोष मित्रल
(संतोष मित्रल)

उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)।

रेलवे बोर्ड

सं. 88/आरएस(जी)/779/14 पार्ट

नई दिल्ली, दिनांक 6 .01.2017

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयां ।
2. पीसीई, सभी भारतीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयां, डब्ल्यूपीओ/पटना, आरसीएफ/रायबरेली, कॉफ़मो, डीएमडब्ल्यू।
3. एडीएआई (रेलें), नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें।

अशोक

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. 88/आरएस(जी)/779/14 पार्ट

नई दिल्ली, दिनांक 6 .01.2017

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सीओएस, सीएमई, सीईई, सीएसटीई, सीएमडी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, आरसीएफ/रायबरेली/नई दिल्ली, कॉफ़मो, कोर, डब्ल्यूपीओ एवं आरडब्ल्यूपी/बेला।

2. निदेशक-
 - क) भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिकंदराबाद।
 - ख) भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिजली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर।
 - ग) भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक
 - घ) वरिष्ठ प्रोफेसर (सामग्री प्रबंधन), भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा।
 - ङ) भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे।
 - च) भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, लखनऊ।
3. निदेशक, लौह एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट, कोलकाता।
4. कार्यपालक निदेशक (भंडार), अ.अ.मा.सं., लखनऊ।
5. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, सुकाड़िया सर्कल, उदयपुर।

सन्तोष मित्तल
(संतोष मित्तल)

उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)।
रेलवे बोर्ड

सं. 88/आरएस(जी)/779/14 पार्ट

नई दिल्ली, दिनांक 06.01.2017

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 248 एवं एनएफआईआर, कमरा नं. 256-सी, रेल भवन।
2. सिक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा नं. 268, फ़ोआ, कमरा नं. 256-डी एवं एआईआरपीएफए, कमरा नं. 256 डी, रेल भवन, नई दिल्ली।

सन्तोष मित्तल
(संतोष मित्तल)

उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)।
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-

सीनियर पीपीएस/पीपीएस/पीएस:

1. रेलमंत्री, रेल राज्य मंत्री(एस), रेल राज्य मंत्री (जी)
2. अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य इंजीनियरी, सदस्य कर्षण, सदस्य कार्मिक, सदस्य यातायात, सचिव, महानिदेशक (आरएस), महानिदेशक(एसएंडटी), महानिदेशक(कार्मिक), महानिदेशक(आरएचएस), महानिदेशक(आरपीएफ).
3. रेलवे बोर्ड के सभी अपर सदस्य, सलाहकार एवं कार्यपालक निदेशक.